न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

द्वितीय अपील संख्या–133/2015–16 अन्तर्गत धारा–219 भू0रा0अधि0

1– श्री अनूप सिंह पुत्र, श्री पदम सिंह, 2. श्रीमती रजनी देवी पत्नी श्री अनूप सिंह, निवासी–ग्राम जीतगढ़, तहसील विकासनगर, देहरादून।

बनाम

1– श्री त्रिलोक सिंह पुत्र स्व0 श्री पदम सिंह, 2. श्री नवीन कुमार पुत्र स्व0 श्री करक सिंह, 3. श्रीमती सुलोचना देवी पत्नी स्व0 श्री करक सिंह, 4. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री धीर सिंह, सभी निवासीगण–ग्राम जीतगढ़, तहसील विकासनगर, देहरादून, 5. ग्राम सभा बदामावाला, निवासी–ग्राम बदामावाला, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर, देहरादून।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्तागण : श्री विजय कुमार गुप्ता।

अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण : श्री राजेश प्रकाश शर्मा।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्तागण उपरोक्त ने तहसीलदार, विकासनगर द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या–103/2014–15 त्रिलोक सिंह बनाम अनूप सिंह आदि अन्तर्गत धारा–34 जं0वि0अधि0 में पारित आदेश दिनांक 04–08–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

निगरानी की संक्षिप्त पृष्ठभूमि निम्नवत् हैः–

श्रीमती रजनी देवी पत्नी अनूपसिंह, निवासी ग्राम जीतगढ़ तहसीलदार, विकासनगर, जनपद देहरादून ने उपहार विलेख दिनांक 30 जनवरी, 2015 जो उनके पति अनूपसिंह द्वारा उनके पक्ष में निष्पादित किया है के आधार पर नायब तहसीलदार, विकासनगर के समक्ष नामान्तरण प्रार्थना पत्र दिनांक 10–02–2015 को प्रस्तुत किया गया जिस पर घोषणा पक्ष जारी करने के साथ दिनांक 15–03–2015 को न्यायालय नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत होने के आदेश तहसीलदार, विकासनगर द्वारा पारित किये गये एवं अन्ततः लेखपाल व रजिस्ट्रार कानूनगो की आख्या के आधार पर दिनांक 28–03–2015 को यह कहते हुए कि वाद निर्विवाद है क्योंकि इश्तहार जारी होने पर कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई नामान्तरण वाद स्वीकार कर श्रीमती रजनी देवी के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किया गया।

दिनांक 29–07–2015 को प्रतिपक्षी त्रिलोक सिंह ने एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र इस आशय का नायब तहसीलदार, विकासनगर के समक्ष प्रस्तुत किया कि वाद

संख्या–2777 / 15 श्रीमती रजनी देवी बनाम अनूपसिंह में पारित आदेश दिनांक 28–03–2015 स्थगित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है क्योंकि अनूपसिंह ने अपने हिस्से से अधिक भूमि दान कर दी है जिसका नामान्तरण होने पर उसे आगे विक्रय किया जा सकता है तथा भूमि पर निर्माण आदि करके उसकी प्रकृति बदली जा सकती है। उक्त प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते हुए प्रतिपक्षी त्रिलोक सिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 03–08–2015 सहायक कलेक्टर, विकासनगर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वाद संख्या–2777 / 2015 रजनी देवी बनाम अनूपसिंह की पत्रावली में नायब तहसीलदार, विकासनगर के यहां सुनवाई नही हो पा रही है। अतः पत्रावली तहसीलदार, विकासनगर के न्यायालय में स्थानान्तरित कर दी जाय। सहायक कलेक्टर, विकासनगर ने अपने आदेश दिनांक 04–08–2015 से तहसीलदार, विकासनगर के न्यायालय में पत्रावली निस्तारण हेतु भेज दी एवं उसी दिन तहसीलदार, विकासनगर ने त्रिलोक सिंह के पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र पर पर्याप्त आधार पाते हुए वाद संख्या–2777 / 2015 में पारित आदेश दिनांक 28–03–2015 को स्थगित किया गया। तहसीलदार, विकासनगर के उक्त आदेश दिनांक 04–08–2015 के विरूद्ध वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गई है।

मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावलियों का सम्यक अध्ययन किया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रकरण के तथ्यों का उल्लेख के अलावा तर्क किया कि विद्वान तहसीलदार ने बिना औचित्य के अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 04–08–2012 से मूल नामान्तरण कार्यवाही संख्या–2777 / 15 में पारित आदेश दिनांक 28–03–2015 को स्थगित किया जबकि पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र अभी भी विचाराधीन है जिसके साथ विलम्ब व क्षमा किये जाने हेतु धारा–5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि आक्षेपित आदेश धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है। दूसरी ओर उत्तरदाता त्रिलोक सिंह के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मूल नामान्तरण की कार्यवाही में विधिवत् इश्तिहार नही जारी हुआ, कि मूल नामान्तरण आदेश जिसके विरूद्ध पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है विद्वान तहसीलदार द्वारा ही पारित किया गया है क्योंकि नायब तहसीलदार न्यायालय रिक्त था, कि आक्षेपित आदेश अन्तवर्ती एवं वादकालीन आदेश है जिसके विरूद्ध निगरानी पोषणीय नही है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा कतिपय न्यायिक व्यवस्थाएं भी प्रस्तुत की गई है जिनका उल्लेख यथास्थान किया जा रहा है।

स्वीकार्य रूप से पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 29–07–2015 अभी भी विचाराधीन है। विद्वान तहसीलदार ने पूर्व में पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 28–03–2015 को स्थगित किया है। धारा–201 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत कार्यवाही का पुनर्स्थापन उचित आधारों पर एवं यह संतुष्टि होने के उपरान्त कि पुनर्स्थापन न होने से न्याय की विफलता हो सकती है हितग्राही / लाभार्थी पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर किया जा सकता है। इस धारा के परन्तुक में यह विधिक व्यवस्था दी गई है कि पूर्व में पारित एकपक्षीय आदेश को

पलटा अथवा परिवर्तित तभी किया जा सकता है जबकि उस आदेश के लाभग्राही पक्ष को सूचित किया जाए एवं सुना जाय। आलोच्य प्रकरण में आदेश दिनांक 28–03–2015 को न तो पलटा गया है और न ही परिवर्तित किया गया है एवं मात्र उसके प्रभाव को स्थगित किया गया है। सक्षम न्यायालय को प्रकरण/कार्यवाही के अंतिम निस्तारण तक वादकालीन/अन्तरवर्ती आदेश पारित करने की अन्तर्निहित शक्तियां प्राप्त है। आक्षेपित आदेश पारित करने में विद्वान तहसीलदार ने पर्याप्त आधार विद्यमान होना पाया है अतः उनके द्वारा आक्षेपित आदेश उनमें अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। इस अन्तरवर्ती/वादकालीन आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्ता को तहसीलदार न्यायालय में आपत्ति करने अथवा उसे वापस लिये जाने की प्रार्थना करने का अवसर था, जिसका कदाचित उनके द्वारा लाभ नही उठाया गया है, एवं ऐसा अवसर अभी भी प्राप्त है। अन्तरवर्ती आदेशों के सम्बन्ध में उत्तरदाता त्रिलोक सिंह के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्थाओं आर0डी01998 पृष्ठ 761 से 762 राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, राजाराम बनाम बलीराम, आर0डी0 2016 (131) पृष्ठ 28 से 30 राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, विनोद कुमार हांडा बनाम अरूण कुमार हांडा, आर0डी0 2012 (117) पृष्ठ 443 से 447 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, श्रीमती अंजू त्यागी एवं अन्य बनाम सिविल जज (एस0डी0) रूड़की आदि, आर0डी0 2006 (100) पृष्ठ 660 से 661 राम साही बनाम श्रवण कुमार आदि, आर0डी0 2000 (91) पृष्ठ 167 राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश बरसाती आदि बनाम गांव सभा आदि, ए0एल0आर0 2004 (57) पृष्ठ 428 से 430 उच्चतम न्यायालय महरवाल खेवाजी ट्रस्ट (रजि0) फरीदकोट बनाम बलदेव दास, ए0एल0आर0 2012 (93) पृष्ट 498 से 502 इलाहाबाद उच्च न्यायालय पारसनाथ सिंह बनाम श्रीमती सिरताजी कुंवारी व अन्य में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त वर्तमान प्रकरण पर पूर्णतया लागू होते है।

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निगरानी बलहीन है।

आदेश

निगरानी अस्वीकार की जाती है। उभयपक्ष 26–09–2016 को अवर न्यायालय में उपस्थित हों। इस न्यायालय की पत्रावली संचित तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियाँ वापस की जाएं।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक **23–08–2016** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)